

14-10-2014

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0

आरोपी सहित श्री शरणागत अधिवक्ता।

प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी स्तर पर आरोपी एवं फरियादी झामसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री शरणागत द्वारा एक राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा-320 दं.प्र.सं. का हस्ताक्षरित कर पेश कर व्यक्त किया गया है। प्रति ए.डी.पी.ओ. को प्रदान की गई।

फरियादी/आहत झामसिंह स्वतः उपस्थित। उसकी पहचान श्री शरणागत अधिवक्ता ने की। पहचान में संदेह नहीं है। प्रार्थी/आहत से पूछे जाने पर उसने स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपी के विरुद्ध धारा-447, 294, 323, 506 भाग-दो भादंवि के दण्डनीय अपराध में आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा द्वारा अभियोग पत्र पेश किया गया है। नयायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित किया गया है।

आरोपी द्वारा कारित अपराध अंतर्गत धारा-447, 294, 323, 506 भाग-दो भादंवि का अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय व राजीनामा योग्य है। राजीनामा आवेदन में व्यक्त किया गया है कि वे आपस में सगे भाई हैं तथा अब उनके संबंध मधुर हो चुके हैं, उसने आरोपी से बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा कर लिया है। उभयपक्ष के संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत झामसिंह को आरोपी से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसी स्तर पर इसी स्तर पर उभयपक्ष की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-320(2) द0प्र0सं0 का स्व हस्ताक्षरित कर पेश किया गया। उभयपक्ष राजीनामा करने में सक्षम है। राजीनामा करने में कोई विधिक रुकावट नहीं है। प्रस्तुत राजीनामा आवेदन विधि विरुद्ध न होने से स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में उभयपक्ष राजीनामा करने में सक्षम है। राजीनामा करने में कोई विधिक रुकावट नहीं है। प्रस्तुत राजीनामा आवेदन विधि विरुद्ध न होने से स्वीकार किया जाता है। फलतः आरोपी रामसिंह को धारा-447, 294, 323, 506 भाग-दो भादंवि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक बांस का डंडा है जो मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलम्ब अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)